म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल,

ई-मेल समस्त

क्र0/बोर्ड/विविध-/टी.एल./सा.बै./परिपत्र/2023-24/922

भोपाल, दिनांक 17/01/2023

-परिपत्र-

मेरे ध्यान में यह तथ्य आया है कि आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक एवं कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ सचिवों द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में मार्गदर्शन के नाम पर पारित आदेश को वरिष्ठालय भेजकर लंबित रख ते हैं, जबकि ऐसे सभी न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में नियुक्त अधिवक्ता से विधिक अभिमत लेकर अग्रिम कार्यवाही समयावधि में किया जाना है । मुख्यालय/आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक एवं सचिव कृषि उपज मंडी समितियों की उपरोक्त कार्यप्रणाली न केवल अवांछनीय है, अपितु इससे अकारण माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना होती है, अनेक प्रकरणों में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं उच्च प्रबंधन के विरूद्ध न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना के प्रकरण संस्थित होते हैं, और अवमानना की स्थिति निर्मित होती है। कई प्रकरण में समय सीमा में अपील भी संस्थित नहीं हो पाती है ।

अतः मुख्यालय/समस्त आंचलिक कार्यालयो में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक एवं कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में तत्काल प्रभारी अधिकारी के माध्यम से नियुक्त अधिवक्ताओं से विधिक सलाह, अभिमत अनुसार आगामी कार्यवाही करें ।

इसके साथ ही मुख्यालय की समस्त शाखायें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में प्रभारी अधिकारी के माध्यम से विधिक अभिमत प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करें, ताकि अवमानना की स्थिति निर्मित न हो एवं समय सीमा में अपील की जा सके ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

(श्रीमति जी.व्ही.रश्मि)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र0/बोर्ड/विविध-/टी.एल./सा.बै./परिपत्र/2023-24/923

भोपाल, दिनांक 17/01/2023

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
3. अपर संचालक(समस्त).............................. म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक(समस्त)............................ म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल
5. आंचलिक कार्यालयो में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय......................की ओर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सचिव कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)........................जिला..................की ओर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु पालनार्थ ।
7. समस्त शाखा ....की ओर पालनार्थ ।
8. परिपत्र नस्ती ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल